न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 327 / 2013
प्रविष्टि दिनांक 21.10.2013

चांदमल पुत्र कल्या जाति सांसी निवासी अरनियानील तहसील व जिला टोंक राज0
.... प्रार्थी

बनाम

1—सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2—परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री मनमोहन शर्मा,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या—2

निर्णय

दिनांक 21.12.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम अहमदपुरा चोकी तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 101 / 2 मे से 600 वर्गमीटर एंव ख0नं0 120 / 1 मे से 2200 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी दर से कम दर पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी अपनी भूमि पर निर्मित तीन पक्की दुकानो का मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अतः स्ट्रेक्चर नम्बर R- 152, R- 153, R- 154 को निरस्त कर मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं स्ट्रेक्चर नम्बर R-152, R- 153, R- 154 की प्रति तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र / लिखित बहस मे अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु भूमि ख0नं0 120 / 1 एंव 101 / 2 मे से कुल रकबा 2800 वर्गमीटर वाके ग्राम अहमदपुरा चोकी मे अवाप्त की गई है। जिसका मुआवजा राजस्व रिकार्ड के अनुसार संबंधित हितबद्व व्यक्ति जगदीश पुत्र भुवाना को अदा किया गया है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र

न्यायालय जिला कलेक्टर सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म माल–4/बजंड राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। प्रार्थी द्वारा अपनी तीन निर्मित दुकानो का मुआवजा चाहा गया है। प्रार्थी मुआवजा निर्धारित करवाने का अधिकारी नही है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 सुनी। जवाब/बहस का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली तथा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा भूमि ख0नं0 101/2 मे से 600 वर्गमीटर,किस्म माल–4 एंव खं0नं0 120/1 मे से 2200 वर्गमीटर किस्म बजंड वाके ग्राम अहमदपुरा चौकी का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का और अपनी तीन पक्की दुकानो का मुआवजा चाहा गया है,परन्तु उक्त आराजी प्रार्थी के नाम ही नही है और ना ही उनके द्वारा इसकी तायद मे साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 21.12.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक